छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

कल्याणपुर, कानपुर
KALYANPUR, KANPUR

सन्दर्भ सं0: सी.एस.जे.एम.वि.वि. / सम्ब. / 949 / 2015 दिनांक: 21 / 12 / 2015

प्रेषक,

कुलसचिव,
छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय,
कानपुर ।

सेवा में,

प्रबन्धक,
श्री बाबू सिंह जय सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल,
भाऊपुर, बेबर रोड,
फतेहगढ़।

विषय– **बी0ए0एम0एस0 पाठ्यक्रम में 100 सीट्स (सत्र 2015–16) हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 की धारा 37(2) में निहित व्यवस्था के क्रम में कार्यालय आदेश संख्याः सी0एस0जे0एम0वि0वि0 / सम्ब0 / 6469 / 2015, दिनांक 30.10.2014 एवं एवं कार्यपरिषद के निर्णय दिनांक 29.05.2015 द्वारा गठित उच्च स्तरीय सम्बद्धता समिति की संस्तुति के उपरान्त कार्यपरिषद की अनुमति से **श्री बाबू सिंह जय सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, भाऊपुर, बेबर रोड, फतेहगढ के बी0ए0एम0एस0 पाठ्यक्रम में 100 सीट्स (सत्र 2015–16) हेतु** निम्नलिखित शर्तो के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

1. संस्था शासन द्वारा निर्धारित फीस की धनराशि ही छात्रों से लेगी तथा मेडिकल कालेज में प्रवेश के साधन / विधि के सम्बन्ध में शासन द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. संस्था महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 लखनऊ को प्रवेशित अभ्यर्थियों एवं रिक्तियों की सूचना नियमानुसार उनके द्वारा निर्धारित समय के अन्दर उन्हें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी तथा इस सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत होने वाले शासनादेशों का पालन करेगी।
3. संस्था द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की परीक्षा सी0सी0आई0एम0 / मेडिकल काउन्सिल आफ इण्डिया के रेगुलेशन एवं अन्य दिशा निर्देशों के अनुपालन के साथ निर्धारित पठन दिवस के उपरान्त ही करायी जायेगी।
4. संस्था प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली / अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
5. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों को पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 के सुसंगत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
6. उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित) के संगत प्राविधान के अधीन विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त होने के पश्चात ही सम्बन्धित पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया जायेगा।

भवदीय,

(सय्यद वकार हुसैन)
कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग, ए–रेडक्रास रोड, नई दिल्ली।
2. सचिव, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, 61–65 इन्स्टीट्यूशनल एरिया, जनकपुरी, नई दिल्ली।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
4. निदेशक, आयुर्वेद सेवाएं, उ0प्र0 लखनऊ।
5. परीक्षा नियंत्रक, सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर।
6. सहायक कुल सचिव (अतिगोपनीय), सी0एस0जे0एम0वि0वि0, कानपुर
7. सिस्टम मैनेजर, सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर ।
8. इंचार्ज, ई0डी0पी0सेन्टर, सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर ।

(सय्यद वकार हुसैन)
कुलसचिव